।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–न–5(15)पु.फो / कानि.भर्ती–23 / 2023 / 3733 दिनांकः–24.08.2023

आयुक्त,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– कॉन्स्टेबल भर्ती–2023 के ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत राजस्थान पुलिस विभाग में 3578 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती–2023 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में संशोधन/त्रुटि सुधार के सम्बन्ध में विज्ञप्ति क्रमांक न–5(15)पु.फो/कानि.भर्ती–23/2023/ 3733 दिनांक 24.08.2023 को जारी की गई है। उक्त विज्ञप्ति की प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया इसे राजस्थान के 02 प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में राजस्थान के समस्त संस्करणों में अविलम्ब प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

कृपया इस विज्ञप्ति की व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी सूचना केन्द्रों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित कराने का श्रम करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

25/8/23

(सचिन मित्तल)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक प्रचार, सीआईडी(सीबी), पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान जयपुर।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः न–5(15)पु.फो. / कानि.भर्ती–23 / 2023 / 3733 दिनांकः– 24.08.2023

कॉन्स्टेबल भर्ती–2023 के ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु विज्ञप्ति

पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 3346 दिनांक 03.08.2023 व संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 3363 दिनांक 04.08.2023 एवं 3665 दिनांक 21.08.2023 द्वारा विभिन्न जिला / यूनिट में कॉन्स्टेबल सामान्य / चालक / घुडसवार / श्वानदल / बैण्ड / पुलिस दूर संचार के पदों हेतु दिनांक 27.08.2023 को 23.59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है।

भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति अनुसार आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि से 05 दिवस तक भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदित जिला / यूनिट एवं पदनाम तथा इनसे संबंधित प्रविष्ठियों में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 28.08.2023 से 01.09.2023 को 23.59 बजे तक किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को 300 / –रूपये शुल्क देना होगा।

यह ध्यान रखा जावे कि आवेदक अपनी SSO ID एवं पासवर्ड अन्य किसी को साझा नहीं करें। SSO ID एवं पासवर्ड के आधार पर हुए संशोधन के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन में कोई संशोधन स्वीकार नही होगा।

25/8/2

(सचिन मित्तल)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान जयपुर।